

(1) 9

R-479-I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

पक्षकार -

श्री रामजी गौड उम्र 50 वर्ष पिता दिलभर गौड जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम बिजापुरी पोस्ट पड़रिया तह. कुण्डम व जिला जबलपुर

विरुद्ध -

अनावेदक -

1. मनीष कुमार जैयसवानी उम्र 36 वर्ष पिता श्री वासुदेव जैयसवानी (गैर आदिवासी) निवासी-म.नं. 1320, जय प्रकाश नगर, अधारताल, जबलपुर
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

*1 दर्जे के 3-2-17 को
ले कर को लिखा दी
जाना होता*

पुनर्निरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत


अनुकूल
1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 68/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि.

3-2-17 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा

50 के तहत यह पुनर्निरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

३१-२-१७ 2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता श्री रामजी गौड उम्र 50 वर्ष पिता दिलभर गौड जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम बिजापुरी पोस्ट पड़रिया तह. कुण्डम व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम मड्डी प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 42 रकवा 3.150 हेक्टे. अंसिचिंत भूमि अनावेदक गैर आदिवासी मनीष कुमार जैयसवानी उम्र 36 वर्ष पिता श्री वासुदेव जैयसवानी (गैर आदिवासी) निवासी-म.नं. 1320, जय प्रकाश नगर, अधारताल, जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19/12/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम बीजापुरी प.ह.नं. 14, रा.नि.मं. इमलई तह. कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 21/4, 46, 56, 68/4, 108, 120, 164, 180/3, 180/6, 200/6 रकवा क्रमशः 0.440, 1.200, 0.05, 0.4550, 0.580, 0190, 0430, 0.08, 0.520, 0.500 है. कुल रकवा 4.540 अंसिचिंत भूमि अप बचेगी। जो कि मेरे एवं मेरे परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिचिंत है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल



27 JAN 2017

R/16

XXXIX(a)BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 479-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यालय तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15- 2- 17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विल्ड मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक कं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्के पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम मडई प.ह. नं. 18 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 42 एकड़ा 3.15 हैक्टर को अनावेदक कं0 1 /गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 19-12-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 20-2-17 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यवित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ व्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित</p>	

PMR

MW

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>भूमि है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कर्य करने को तैयार नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम बीजापुरी प. ह.नं. 14 रा.बि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 4.540 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाझड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्थानी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गठन प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्थानित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ग्राम मडई प.ह.नं. 18 रा.बि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 42 रक्षा 3.15 हेक्टर हेक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 /गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाझड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। <p>(W)</p>	

१५८

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, रवालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 479-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हक्काकार
8/14	<p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा। निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;">(एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर</p>	